न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण

1. भागीरथ पुत्र भुण्डाराम चौधरी
2. गोविन्दराम पुत्र भुण्डाराम चौधरी
3. कुन्तीदेवी पुत्री भुण्डाराम चौधरी पत्नी रमेश चौधरी जातिगण जाट निवासीगण सोहननगर तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कालूराम जाखड़ पुत्र पुखाराम जाति जाट निवासी भटीण्डा वाया बनाड तह0 लूणी जिला जोधपुर राज0।
2. भुण्डाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी सोहन नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3. केलकी पुत्री घीसाराम जाति जाट निवासी राजोलां कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।
4. दरिया पुत्री घीसाराम पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी भाणीया तह0 सोजत जिला पाली राज0
5. तहसीलदार भूमि धारक/उप—पंजीयन अधिकारी सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 52/2023

उपस्थितिः—

01. श्री भवानी सिंह जैतावत अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 12/05/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 से 4 का वंशवृक्ष इस प्रकार है— घीसाराम पुत्र नारायणलाल (फौत), भुण्डाराम (पुत्र), केलकी, दरिया (पुत्रियां) पिसरान घीसाराम, भागीरथ, गोविन्दराम (पुत्र), कुन्तीदेवी, सुमित्रादेवी (पुत्रियां) पिसरान भुण्डाराम। इसके अलावा घीसाराम पुत्र नारायणलाल के अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं हैं। सरहद मौजा ग्राम सोहन नगर तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान में कृषि भूमि 'ए' वर्तमान खाता नंबर 46 खसरा नंबर 472, 762, 768, 770, 772 कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.9700 है0, इसी प्रकार कृषि भूमि 'बी' खाता सं0 60 खसरा नंबर 513/1 रकबा 1.2000 है0 की आयी हुई स्थित हैं। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात कृषि भूमि में प्रार्थीगण के दादा घीसाराम पुत्र नारायणलाल कौम जाट की एकमात्र खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि ए में से खसरा नम्बर 762 रकबा 0.8900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 04 ने प्रार्थीगण को धोखे में रखते हुये बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित करवाई जाकर बेचान रजिस्ट्रीयां दिनांकित 15/12/2022 को उप—पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दी। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पूर्वज घीसाराम पुत्र नारायणलाल के विधिक उतराधिकारी है। घीसाराम पुत्र नारायण का निवर्सीयती स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण घीसाराम के पौत्र एवम् पौत्री है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 स्व. घीसाराम के पुत्र एवम् पुत्री है। इसलियें घीसाराम के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण उनके प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी वारिसान होने से उनका उक्त वादस्थ कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा अर्जित हो चुका है। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 2 से 4 सभी संयुक्त हिन्दू अभिवक्त परिवार है, जो सभी स्वर्गीय घीसाराम पुत्र नारायणलाल के को—पॉर्सनर है। प्रार्थीगण के दादा घीसाराम का देहान्त मई 2012 में हुआ था तथा उनके जीवनकाल में उनका जन्म हो चुका था। उस समय घीसाराम का संयुक्त अविभक्त परिवार था तथा प्रार्थीगण को—पॉर्सनर है, प्रार्थीगण के दादा घीसाराम के स्वर्गवास के पश्चात् घीसाराम के पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 भुण्डाराम, पुत्रीयों अप्रार्थी संख्या 3 केलकी व अप्रार्थी संख्या 4 दरिया के नामान्तरणकरण विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज कर खातेदारी दर्ज की गई, जबकि प्रार्थीगण

घीसाराम के को–पार्सनर होने से राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम भी अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के साथ दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने जानबुझकर घीसाराम के विधिक उत्तराधिकारी को को–पार्सनर को छुपाते हुये अपने स्वयं के नाम नामान्तरण दर्ज करवा दिया, जबकि प्रार्थीगण का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया। वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता भुण्डाराम पुत्र घीसाराम को अपने पिता घीसाराम पुत्र नारायणलाल से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है, जो कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की स्वअर्जित सम्पति नहीं हो कर पैतृक सम्पति है। प्रार्थीगण का जन्म घीसाराम के जीवनकाल में हो गया था, इस कारण से वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण का हित जन्म से रहा है, इसलिये प्रार्थीगण घीसाराम के को पार्सनर है। वादस्थ कृषि भूमि में बतौर खातेदार भूण्डाराम, केलकी व दरिया के नाम से राजस्व रेकर्ड में कानून के विरूद्ध इन्द्राज हुआ, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 2 तथा पद संख्या 1 में वर्णित वंशावली के अनुसार सुमित्रादेवी प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादस्थ कृषि भूमि में ए व बी में प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 प्रत्येक का तथा सुमित्रा देवी प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा आता है, जिस अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को पूर्वजो से प्राप्त हक हिस्से का बेचान, हस्तान्तरण करने का अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 2 से 4 अपने पूर्वज घीसाराम के स्वर्गवास से काबिज काश्त चले आ रहे है, आज भी मौके पर प्रार्थीगण अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण अपने हक हिस्से का उपयोग एवम् उपभोग बिना किसी बाधा के लगातार कदीमी रूप से करते आ रहे है। दिनांक 10/12/2022 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 से 4 से वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण को प्राप्त हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस द्वारा बंटवाड़ा कर अलग खातेदारी दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने कहा कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा देंगे, तत्पश्चात् प्रार्थीगण दिनांक 16/12/2022 को अपने हक हिस्से की कृषि भूमि की देखरेख करने हेतु गाँव सोहन नगर आये तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को जरिये दुरभाष द्वारा उक्त कृषि भूमि पर काश्त करने से मना कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को एलानियों धमकी दी कि उक्त वादस्थ कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 से जरिये रजिस्टर्ड बेचान रजिस्ट्री द्वारा खरीद कर दी है तथा यह भी एलानियों कहा कि खसरा नम्बर 762 की कृषि भूमि पर अब तुम्हारा किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा शेष नहीं है तथा यह भी एलानियों कहा कि खसरा नम्बर 762 की कृषि भूमि को अन्यंत्र व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण रहन, बक्सीस, इत्यादि कर देंगे तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पर्क कर बेचान रजिस्ट्री बाबत् पुछताछ की तो अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने प्रार्थीगण को कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 को भारी राशि लेकर बेचान कर दी है, तुमसे जो हो कर लो, तब प्रार्थीगण ने बेचान रजिस्ट्री दिनांक 15/12/2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19/12/2022 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने बिना किसी वैध अधिकार के प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 को अपराधिक षड़यंत्र पूर्वक फर्जी एवम् कुटरचित तरीके से धोखा धड़ी कारित कर बेचान निष्पादित कर दिया है, जबकि उपरोक्त खसराजात की भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा ही आता है, उससे अधिक भूमि बेचान करने का अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित करवाई गई बेचान रजिस्ट्री दिनांक 15/12/2022 को एबईनिशियो वोईड शुन्य एवम् निष्प्रभावी दस्तावेज है, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण के हक अधिकारो के विपरीत किसी प्रकार के हक अधिकार सर्जित नहीं होते हैं। चूंकि उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध दस्तावेज है इसलिये न्यायालय हाजा के द्वारा उक्त दस्तावेज को शुन्य एवम् निष्प्रभावी घोषित किया जाना कानूनन आवश्यक एवम् न्याय संगत है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त विवादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने पूर्व में भी खसरा नम्बर 762 में से 0.6400 हैक्टर यानि 4 बीघा कृषि भूमि चम्पादेवी पत्नी डूंगरराम जाति जाट निवासी सोहननगर वाले को बेचान प्रार्थीगण के बाले बाले कर

उपखण्ड अधिकारी
रोजड़ (राज.)

दी थी तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 762 में शेष बची कृषि भूमि 0.8900 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान भी अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 15/12/2022 को जरिये रजिस्ट्री कर दी है, जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है, इसके बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगण का हक हिस्सा भी अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है तथा शेष बची कृषि भूमि खसरा नम्बर 472, 768, 770, 772 व 513/1 की कृषि भूमि को भी बेचान करने पर उतारू है, जिसमें भी प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है, जिन्हें रोका जाना अति आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीगण अपने हक हकूक एवम् अधिकारो से वंचित हो जायेंगे तथा उक्त बेची गई व शेष सम्पूर्ण कृषि भूमि में प्रार्थीगण का 1/7–1/7–1/7 हिस्सा बनना पाया जाता है। इसलिये अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीगण अपना हक हिस्सा प्राप्त करने हेतु यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है, क्योंकि विवादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है, जो प्रार्थीगण को अपने दादा घीसाराम से प्राप्त हुई है, तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है, क्योंकि मौके पर वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है, यदि अप्रार्थीगण द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि या उसमें से कोई भी खसरे का बेचान अप्रार्थीगण द्वारा कर दिया जाता है तो अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण को होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में नहीं की जा सकती है तथा उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने से तथा स्व. दादा घीसाराम जी के जीवनकाल में प्रार्थीगण का जन्म होने से जन्म से ही प्रार्थीगण को हक हिस्सा प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में एवम् अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये बेचान आदि करने से रोके जाने हेतु तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनने पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादस्थ कृषि भूमि के सम्पूर्ण खसरा नम्बरान में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि के सम्बंध में बेचान, हस्तान्तरण, वसीयत, रहन, बक्सीस इत्यादि नहीं करे तथा वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में दखल अन्दाज, बाधा कारित नहीं करे एवम् न ही अन्य से करावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 वादस्थ कृषि भूमि को आगे से आगे किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर बेचान रजिस्ट्री नहीं करावे इस हेतु अप्रार्थी संख्या 5 को भी पाबंद फरमाया जावे कि विवादग्रस्त कृषि भूमि की रजिस्ट्री नही करने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय में मूल वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को कतई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। उक्त कृषि भूमि में खसरा नम्बर 762 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित हैं, जिस कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 से प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द कर बैचान किया, प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं हैं। खसरा संख्या 762 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 खातेदार दर्ज थे जिनको अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बैचान अन्तरण करने का वैध अधिकार प्राप्त था, जिन अधिकारों के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बैचान पंजीयन करवाया गया। जिनके द्वारा उप पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर साक्षीगणो की उपस्थिति में बैचान दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पंजीयन करवाया गया जो दस्तावेज कतई फर्जी व कुटरचित नहीं माना जा सकता तथा यदि ऐसा कोई बैचान फर्जी व कुटरचित होता तो अवश्य ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई जाती लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधि पूर्ण तरीके से बैचान किया गया, वादस्थ बैचान की गई भूमि में कतई 1/7–1/7 हक हिस्सा नहीं बनता है तथा यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को 1/7 हिस्से से अधिक

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (राज.)

भूमि बैचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित करवाई गई बैचान रजिस्ट्री दिनांक 15/12/2022 शून्य, निष्प्रभावी दस्तावेज है जिससे अप्रार्थी संख्या को प्रार्थीगण के हक अधिकारो के विपरित कोई हक अधिकार सृजित नही होते हैं जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित बैचान एक रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज है जिस बैचान दस्तावेज को प्रार्थी कतई शून्य घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 का वक्त खरीद से कब्जा काश्त बिना किसी बाधा अडचन के बहैसियत खातेदार के चला आ रहा है तथा आज भी अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर काबिज काश्त हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है यदि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 अपनी खरीदसुदा खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा जिसका मुल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा इसलिए अपूर्णिय क्षति भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थीगण वादस्थ भूमि में किसी प्रकार से हक हिस्से की घोषणा, बंटवाडा, निषेधाज्ञा व बैचान शून्य घोषित करवाने के कतई अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अप्रार्थीगण सं0 02 से 04 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय में मूल वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को कतई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त पद में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की वंशावली दर्शायी है, जो सही हैं। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पूर्वज घीसाराम के विधिक उतराधिकारी है, तथा घीसाराम जी का अवश्य स्वर्गवास हो चुका हैं तथा प्रार्थीगण का यह लिखना भी सही है कि प्रार्थीगण घीसाराम जी के पौत्र एंव पौत्री है तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 स्वर्गीय घीसाराम जी के पुत्र एवं पुत्री हैं। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि घीसाराम जी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण उनके प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी वारिस होने से उक्त वादस्थ भूमि में हक हिस्सा अर्जित हो चुका है तथा यह लिखना भी गलत है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 सभी संयुक्त हिन्दू अविभक्त परिवार है, जो घीसाराम जी के कॉपर्सनर है तथा प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत हैं। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि प्रार्थीगण के दादा का स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने नामान्तरण विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज कर खातेदारी दर्ज करवा दी तथा यह लिखना भी गलत है कि प्रार्थीगण घीसाराम जी के कॉपार्सनर होने से राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम भी अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के साथ दर्ज किया जाना चाहिए था तथा यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने जानबुझकर घीसाराम जी के विधिक उतराधिकारीयों को छुपाते हुए अपने स्वयं के नाम नामान्तरण दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था तथा यह लिखना भी गलत है कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया जबकि सर्वप्रथम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 कतई संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं है, सभी घीसाराम जी के जीवनकाल से अलग अलग निवास करते आये है, इसलिए प्रार्थीगण कतई कॉपार्सनर नहीं होने से कोई हक अधिकार नहीं बनता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 भूण्डाराम जो कि प्रार्थीगण का पिता है तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अप्रार्थी संख्या 2 की बहिने है जो कि घीसाराम जी के प्रथम श्रेणी के वैध उतराधिकारी वारिसान है तथा घीसाराम जी का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा घीसाराम जी के प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीयों की जांच किये जाने के पश्चात ही राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण अमल दरामद किया गया। जो नामान्तरण कतई विधि विरूद्ध नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पिता के जीवित रहते अथवा जीवनकाल में पुत्र व पुत्रीयों को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है न ही प्रार्थीगण का वादस्थ भूमियों में कोई हक अधिकार बनता है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पद में स्वयं के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं करवा देने के तथ्य व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करवा देने के तथ्य गलत व मिथ्या वर्णित किये है। जब प्रार्थीगण का वादस्थ भूमियों में हक ही नहीं बनता है तो राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि वादस्थ कृषि भूमि में खातेदार भूण्डाराम, केलकी व

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

दरिया के नाम राजस्व रेकर्ड में कानून के विरूद्ध इन्द्राज हुआ है जबकि घीसाराम जी के वैध उतराधिकारीयों की जांच पश्चात ही नामान्तरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा स्वीकृत किया गया जिस नामान्तरण की प्रार्थीगण को बखूबी जानकारी रही हैं प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण स्वीकृति होने की जानकारी के पश्चात कभी भी उक्त नामान्तरण को चैलेंज नहीं किया है तथा प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में प्रार्थीगण प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा निहित है तथा यह लिखना भी गलत है कि वादस्थ कृषि भूमि ए व बी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 तथा सुमित्रा देवी का प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा आता है जिस अनुसार काबिज काश्त है जबकि प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं बनता है न ही अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की भूमि में कभी कब्जा रहा है, तो प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में अपना 1/7 हक हिस्सा होने के कथन मनगढ़ंत व झूठे वर्णित किये है तथा प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत हैं कि प्रार्थीगण को पूर्वजो से प्राप्त हक हिस्से का बैचान अन्तरण करने का अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है जबकि उपरोक्त वादस्थ भूमि न तो प्रार्थीगण की पुश्तैनी है न ही प्रार्थीगण द्वारा पुश्तैनी होना साबित किया है जो कि तीन पीढीयों से प्राप्त होना माना जाता हैं तथा पिता के जीवनकाल में पुत्र व पुत्रीयों को कृषि भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है अप्रार्थी संख्या 2 से 4 उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है जिनको अपनी खातेदारी भूमि का बैचान अन्तरण करने का वैध अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 घीसाराम जी के स्वर्गवास से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है तथा यह लिखना भी गलत है कि प्रार्थीगण अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के कदीमी रूप से करते आ रहे है, जब प्रार्थीगण का वादस्थ भूमि में कोई हक अधिकार ही नहीं है न ही प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि के खातेदार है तो प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर काबिज काश्त होने व उपयोग उपभोग करने के कथन स्वतः ही गलत व मिथ्या है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, अप्रार्थी संख्या 2 से 4 उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वैध खातेदार दर्ज है तथा मौके पर भी अप्रार्थी संख्या 2 से 4 काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें तथा प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति कारित होगी जिसका मुल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा इसलिए अपूर्णिय क्षति भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थीगण का उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध सव्यय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पूर्वज घीसाराम पुत्र नारायणलाल के विधिक उतराधिकारी है। घीसाराम पुत्र नारायण का निवर्सीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण उनके प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी वारिसान होने से उनका उक्त वादस्थ कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा अर्जित हो चुका है। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 2 से 4 सभी संयुक्त हिन्दू अभिवक्त परिवार है, जो सभी स्वर्गीय घीसाराम पुत्र नारायणलाल के को–पॉर्सनर है। प्रार्थीगण के दादा घीसाराम का देहान्त मई 2012 में हुआ था तथा उनके जीवनकाल में उनका जन्म हो चुका था। जिससे प्रार्थीगण का वादस्थ कृषि भूमि में 1/7–1/7 हक हिस्सा निहित हो चुका हैं। लेकिन स्व0 घीसाराम पुत्र नारायणलाल के स्वर्गवास के पश्चात् अप्रार्थी सं0 02 से 04 ने बाले–बाले अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया तथा दिनांक 15/12/2022 को ख.नं. 762 रकबा 0.89 है0 की कृषि भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया, जिसका उनको कोई हक–अधिकार नहीं था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनने पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। **अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में** 2024(1) डीएनजे (राज0) 397, 2022(2) डीएनजे (रेव0) 1541, 2022(2) डीएनजे (रेव0) 1286, 2024(2) डीएनजे (रेव0) 1372,

उपखण्ड अधिकारी,

2024(1) डीएनजे (रेव0) 558, 2021(2) डीएनजे (रेव0) 997 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण स्व0 घीसाराम पुत्र नारायणलाल के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान नहीं हैं। घीसाराम जी का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा घीसाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीयों की जांच किये जाने के पश्चात् ही राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण अमल दरामद किया गया। जो नामान्तरण कतई विधि विरूद्ध नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पिता के जीवित रहते अथवा जीवनकाल में पुत्र व पुत्रीयों को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है न ही प्रार्थीगण का वादस्थ भूमियों में कोई हक अधिकार बनता है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है, जिनको अपनी खातेदारी भूमि का बैचान अन्तरण करने का वैध अधिकार प्राप्त है तथा अप्रार्थी सं0 01 द्वारा वादस्थ भूमि ख0नं0 762 रकबा 0.89 है0 भूमि को अप्रार्थी सं0 02 से 04 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिसके आधार पर अप्रार्थी सं0 01 का राजस्व रेकर्ड में खातेदार इन्द्राज किया गया तथा अप्रार्थी सं0 01 उक्त भूमि का सद्भाविक क्रेता है तथा अप्रार्थीगण तमाम रेकर्डेड खातेदार हैं। जिनके विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें तथा प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति कारित होगी। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। **अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में** 2022(2) आरआरटी 1047, ए0बी0 सिविल मिस0 अपील नं0 519/2001 एच0सी0 2015(1) आरआरटी 633, 2013(1) आरआरटी 123, 2013(2) आरआरटी 828, 2018(2) सीजे (सिव0)राज0 1389, 2021(1) सीजे (सिव0)राज0 252, 2018(3) सिजे (सिव0)राज0 1529 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि में अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। यघपि पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य/ सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। वादस्थ भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है जिससे भी सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

—: <u>आदेश</u> :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)
सहायक कलक्टर, सोजत